संख्या-179/2026/105पी/26-27-सिं0-4/003-CN-1746609

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ ::दिनांक: 17-03-2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखा शीर्षक 4701 मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4875/आई०बी०/टी०एण्ड०पी०/2025-26, दिनांक 24 फरवरी, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार **वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखा शीर्षक 4701 मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में** प्राविधानित कुल धनराशि रू0 650.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि रू0 6.50 लाख में से लेखाशीर्षक 4701-80-052-03-12 **(नवीन सम्पूर्ति)** कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण हेतु धनराशि रू0 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) को अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 में टी०एण्ड०पी० मद में अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रवन्धन एये, शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के पाविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी०एम०-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4701800520300 नवीन सम्पूर्ति **मानक मद** 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-179(1)/2026/105**पी/26-27-सिं0-4/003**-CN-1746609, **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यॉत्रिक), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (पूर्व), गोरखपुर/ मुख्य अभियन्ता, (सरयू-परि०-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या ।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, श्रावास्ती, उ0प्र0।

8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

10- नियोजन अनुभाग-3

11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।